सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 22, गुरूवार, *शाके* 1947- जून 12, 2025
Jyaistha 22, Thursday, Saka 1947- June 12, 2025

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

जयपुर, विकास प्राधिकरण जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, मई 26, 2025

संख्या जविप्रा/जोन/पीआरएन दक्षिण-द्वितीय/2025/डी-587 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 22, 23 व 24 में प्रदत्त शक्तियों के तहत जोनल विकास योजना-10 जयपुर विकास प्राधिकरण की 64वी बैठक दिनांक 22.05.2018 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

बीपीसी (एलपी) की 341वीं बैठक दिनांक 11.09.2023 में लिये गये निर्णयानुसार जोनल विकास योजना 10 के मानचित्र में अंकित 24 मीटर चौडी सडक (PZ-10/24/51) व मौके पर उपलब्ध सडक के अलाईमेन्ट मे आंशिक भिन्नता है। अतः मौके पर 24 मीटर सडक की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए प्रश्नगत सडक के अलाईमेन्ट में संशोधन की कार्यवाही किये जाने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया।

बीपीसी (एलपी) की 341 वीं बैठक दिनांक 11.09.2023 में लिए गये निर्णय की पालना में जोनल विकास योजना प्लान 10 की उपरोक्त वर्णित सडक के अलाईमेन्ट में संशोधन हेतु दिनांक 11.09.2024 को आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये एवं निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए है। बीपीसी (एलपी) की 377वीं बैठक दिनांक 10.12.2024 में उक्त सडक के अलाईमेन्ट में संशोधन किये जाने के संबंध में जविप्रा अधिनियम की धारा 25(1) की अधिसूचना की कार्यवाही सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 25(1) के अन्तर्गत जोनल विकास योजना प्लान 10 की 24 मीटर चौडी सडक (PZ-10/24/51) का अलाईमेन्टस संशोधन अधिसूचित किया जाता है।

उक्त अधिसूचना के अनुसार जोनल विकास योजना-10 में संशोधन जविप्रा की बेवसाईट www.jda.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक .....को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन की दिनांक से जोनल विकास योजना-10 का भाग माना जाकर प्रभावी होगी।

निशान्त जैन,
सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।